न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशु राम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–17/2023 (GCMS No. 2023/17) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राजकुमार पुत्र स्व. मुन्नालाल
2. निशांत चंदेल पुत्र राजकुमार
3. हिमांशु चंदेल पुत्र राजकुमार
4. अशोक पुत्र मनोहर (मृतक)

4/1 लीला वेवा अशोक

5. रमेश पुत्र मनोहर
6. कमलसिंह उर्फ कल्लूसिंह पुत्र मनोहर

जाति खटीक निवासी दुर्गा कालोनी गर्ल्स स्कूल के पास धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. मनोहर पत्नी शोकीन जाति खटीक हाल निवासी रामनगर कॉलोनी तहसील व जिला धौलपुर।
2. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. मनोहर पत्नी तोताराम जाति खटीक हाल निवासी सिन्दर कम्पू ग्वालियर मध्यप्रदेश।

.....असल रेस्पोडेन्टस

3. शीला पत्नी स्व. मुन्नालाल जाति खटीक निवासी दुर्गा कालोनी गर्ल्स स्कूल के पास धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
4. मालती पुत्री स्व. मुन्नालाल पत्नी मनोज जाति खटीक निवासी दुर्गा कालोनी धौलपुर।
5. विज्जो पुत्री स्व. मुन्नालाल पत्नी भीकमसिंह जाति खटीक निवासी डी डी मोल के पीछे ग्वालियर मध्यप्रदेश।
6. ग्राम पंचायत तगावली तामील जरिये सरपंच तहसील व जिला धौलपुर।
7. ग्राम पंचायत तगावली तामील जरिये सचिव तहसील व जिला धौलपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.01.2023 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर अपील सं. 6/2020 उनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम मुन्नालाल बावत् दाखिल खारिज दिनांक 23.12.1972 ग्राम पंचायत तगावली खसरा नम्बर 190 रकवा 4 बीघा 3 विस्वा ग्राम जिरौली।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्टस की ओर से श्री दिनेश शर्मा, वकील
2. असल रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 19.01.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 24.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 190 रकवा 4 बीघा 3 विस्वा वांके ग्राम जिरौली तहसील धौलपुर में स्थित है जो पूर्व में स्व. मनोहर की खातेदारी की थी। मनोहर की मृत्यु होने के बाद उक्त आराजी दाखिल खारिज संख्या 34 दिनांक 23.12.1972 से उनके पुत्र मुन्नालाल, अशोक कुमार, रमेशचंद व कल्लूसिंह के नाम आ गयी। जिसमें मृतक मनोहर की पुत्रियों लक्ष्मी व पुष्पा की सहमति थी। बाद में मृतक मनोहर की पुत्रियों ने दिनांक 24.09.2020 को दाखिल खारिज की अपील उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ पेश की जो स्वीकार की गई। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल रेस्पोडेन्टस की ओर से पैरवी हेतु एडवोकेट श्री पंकज कुमार ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया।
3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 190 रकवा 4 बीघा 3 विस्वा वांके ग्राम जिरौली तहसील धौलपुर में स्थित है जो पूर्व में स्व. मनोहर की खातेदारी की थी। मनोहर की मृत्यु होने के बाद उक्त आराजी दाखिल खारिज संख्या 34 दिनांक 23.12.1972 से उनके पुत्र मुन्नालाल, अशोक कुमार, रमेशचंद व कल्लूसिंह के नाम आ गयी। जिसमें मृतक मनोहर की पुत्रियों लक्ष्मी व पुष्पा की सहमति थी। बाद में मृतक मनोहर की पुत्रियों ने दिनांक 24.09.2020 को दाखिल खारिज की अपील उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ पेश की जो स्वीकार की गई। उससे पूर्व दावा अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस तरतीवी के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ दिनांक 1.7.2019 को 88, 89 व 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जब असल रेस्पोडेन्टस ने दावा डिक्लेरेशन का न्यायालय में पेश कर दिया था उस समय सरसरी कार्यवाही के तहत निर्णय नहीं देकर उसे स्टे कर देना चाहिए था। असल रेस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय जैर अपील दिनांक 23.'12.1972 के विरूद्व दिनांक 24.09.2020 को पेश की गई जो 48 वर्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बाद मियाद बाहर पेश की। इस तथ्य पर तहत अदालत ने कोई विचार नहीं किया और मयाद पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। आराजी खसरा नम्बर 190 नगर परिषद धौलपुर के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है किन्तु अदालत तहत में नगर परिषद धौलपुर को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया। विवादित खसरा नम्बर आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण आयुक्त नगर परिषद धौलपुर से दिनांक 06.10.2016 को कराया जा चुका है तथा आराजी खसर नम्बर कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि में रूपान्तरित हो चुकी है। उसे अधीनस्थ न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं था। उक्त खसरा नम्बर के आवासीय रूपान्तरण हो जाने पर पक्के निर्माण कार्य हो चुके हैं तथा उन मकानों में खरीददार मकान बनाकर रहने लग गये हैं किसी भी भाग पर कोई कृषि कार्य नहीं होता है। पूर्व में दाखिल खारिज रेस्पोडेन्टस की सहमति से ही दर्ज होकर स्वीकार हुआ था और अब राजीनामा में रेस्पोडेन्टस ने दाखिल खारिज को यथावत रखने का निवेदन भी किया। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 24.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस दलील दी कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस के पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 1972 में नामांतरकरण में उनकी पुत्रियों को छोड दिया गया। पुत्रियों ने नामांतरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपील तहसीलदार को रिमाण्ड कर भेज दिया गया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की। न्यायालय हाजा में मृतक मनोहर की पुत्रियों द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है। हम पक्षकारों में राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 24.01.2023 को निरस्त करते हुये नामांतकरण दिनांक 23.12.1972 को यथावत रखा जावे जिस पर हम रेस्पोडेन्टस को कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय में यह अपील अपीलांटस ने पेश की कि दोनों पक्षकार एक ही परिवारजन हैं और दोनों पक्षों में आपस में राजीनामा हो गया हैं। अतः नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 23.12.1972 बदस्तूर रखने में पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है तथा दाखिल खारिज रेस्पोडेन्टान की सहमति से होना बताया है। अपील अपीलांट स्वीकार करने में हम रेस्पोडेन्टान को कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में लक्ष्मी व पुष्पा कोई मुकदमा नहीं करेंगे और न हमारे वारिसान कोई उज्र करेगें। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष में राजीनामा होने तथा असल रेस्पोडेन्टान (पुत्रियों) द्वारा अपनी सहमति होने के आधार पर उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को

निरस्त करवाना चाहा है। इस प्रकार अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2023 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 23.12.1972 को यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. आज दिनांक 19.01.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानिका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर